न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 42/2026

प्रभूलाल मीणा (रिट. संयुक्त आयुक्त वाणिज्य कर विभाग) पुत्र मथरा लाल मीणा निवासी ग्राम देवीखेड़ा तहसील देवली जिला टोंक राज. ---अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली ---प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक **02.06.2026**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 26.02.2026 को प्रेषित/प्रस्तुत करने पर पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 170 दिनाक 27.02.2026 से लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई:-

आवासीय भूखण्ड सं.25 वाके ग्राम अम्बापुरा दौलतामोड़ तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है, के आराजी खसरा नम्बर पुराने 113 रकबा 1.97 हैक्टेयर में से आवासीय प्रयोजनार्थ कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ श्रीमान तहसीलदार देवली के आदेश क्रमांक 613/राजस्व / दिनांक 29.07.1997 द्वारा संपरिवर्तन करवाया गया है, उक्त भूमि ग्राम माधोराजपुरा (दौलता मोड़) की सम्पूर्ण नक्शा ट्रेस, कृषि भूमि से आवासीय परिवर्तन हुई भूमि की सूचना की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार देवली से उपलब्ध कराने का श्रम करे।

प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पद व कार्यालय का नाम अवश्य बताये।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचनां अधिकारी एंव तहसीलदार देवली को पत्र कमांक 712 दिनांक 09.04.2026, 839 दिनांक 24.04.2026 व 978 दिनांक 08.05.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली ने पत्र कमांक 294 दिनांक 04.05.2026 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां उनके पत्र कमांक 292 दिनांक 28.04.2026 से अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध करवा दी है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(टीना डाबी)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलक्टर
टोंक

जिला कलक्टर
टोंक (राजस्थान)

856